



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2021 / 175(67 / 21)

दर्ज तिथि:-03.08.2021

1. देवाराम पुत्र ताजाराम  
जाति मेगवाल निवासी गुरुओं का तला तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. डालुराम पुत्र उदाराम
2. ठाकराराम पुत्र उदाराम
3. वालाराम पुत्र उदाराम
4. सजनीदेवी पत्नी उदाराम
5. रिड़मलराम पुत्र रेशमाराम
6. कौशलाराम पुत्र रेशमाराम
7. तुलसाराम पुत्र रेशमाराम
8. करनाराम पुत्र रेशमाराम
9. देदाराम पुत्र रेशमाराम
10. इन्द्रादेवी पत्नी रेशमाराम
11. विशनाराम पुत्र ताजाराम
12. नेनाराम पुत्र ताजाराम
13. गोनाराम पुत्र ताजाराम
14. जोगाराम पुत्र पनाराम
15. जेताराम पुत्र पनाराम
16. अणसीदेवी पत्नी पनाराम
17. मूलाराम पुत्र बागाराम

जाति मेगवाल निवासी गुरुओं का तला तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

18. तहसीलदार नोखड़ा।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री रिड़मलराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-03.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 565 / 0.0486 है0, 571 / 12.8366 है0, 580 / 27.7290 है0, 566 / 19.4573 है0, 572 / 7.2843 है0 मौजा गुरुओं का तला तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण के हाजिर न्यायालय नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् वादी अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 06.06.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/89 दिनांक 17.02.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/89 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b> - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 07.02.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 762-779 दिनांक 24.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 07.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 762-779 दिनांक 24.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 07.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071-2074 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 565/0.0486 है0, 571/12.8366 है0, 580/27.7290 है0, 566/19.4573 है0, 572/7.2843 है0 मौजा गुरुओं का तला तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैं:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफ्त में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफ्त में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 565/0.0486 है0, 571/12.8366 है0, 580/27.7290 है0, 566/19.4573 है0, 572/7.2843 है0 मौजा गुरुओं का तला तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
देवाराम पुत्र ताजाराम हि0 1/4	गुरुओं का	566	3.9018	बा0सो0
गेनाराम पुत्र ताजाराम हि0 1/4	तला	571	5.1346	बा0सो0
नेनाराम पुत्र ताजाराम हि0 1/4		572	2.4281	बा0सो0
विशनाराम पुत्र ताजाराम हि0 1/4		580	2.9779	बा0सो0
कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार				
कुल किता 04 रकबा 14.4424 है0				
अगरीदेवी पत्नी पनाराम हि0 1/12 अन्तरोदेवी पत्नी घमडाराम हि0 1/48 इन्द्रादेवी पत्नी रेशमाराम हि0 1/24 करनाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/24 कोशलाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/24 जेताराम पुत्र पनाराम हि0 1/12 जोगाराम पुत्र पनाराम हि0 1/12 रहन बीसीसीबी शाखा नोखड़ा ख.सं. 571 जोधाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/16 ठाकराराम पुत्र उदाराम हि0 1/16 डालुराम पुत्र उदाराम हि0 1/16 तुलसाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/24 देदाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/24 नेनाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/16 मुकेश कुमार पुत्र घमडाराम हि0 1/48	गुरुओं का तला	565 571	0.0486 7.7020	गै0मु0 बा0सो0

मिसराराम पुत्र घमडाराम हि0 1/48 रिडमलराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/24 रहन आरएमजीबी शाखा गुडामालानी वालाराम पुत्र उदाराम हि0 1/16 सजनीदेवी पत्नी उदाराम हि0 1/16 हेमाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/16 कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार				
कुल किता 02 रकबा 7.7506 है0				
जेताराम पुत्र पनाराम हि0 1/6 अगरीदेवी पत्नी पनाराम हि0 2/3 जोगाराम पुत्र पनाराम हि0 1/6 रहन बीसीसीबी शाखा नोखड़ा कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	गुरुओं का तला	572	4.8562	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 4.8562 है0				
जोगाराम पुत्र पनाराम हि0 1/6 रहन बीसीसीबी शाखा नोखड़ा जेताराम पुत्र पनाराम हि0 1/6 अगरीदेवी पत्नी पनाराम हि0 5/12 ठाकराराम पुत्र उदाराम हि0 1/16 डालुराम पुत्र उदाराम हि0 1/16 वालाराम पुत्र उदाराम हि0 1/16 सजनीदेवी पत्नी उदाराम हि0 1/16 कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	गुरुओं का तला	566	15.5555	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 15.5555 है0				
कोशलाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/12 अगरीदेवी पत्नी पनाराम हि0 1/12 अन्तरोदेवी पत्नी घमडाराम हि0 1/48 इन्द्रादेवी पत्नी रेशमाराम हि0 1/12 करनाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/12 जेताराम पुत्र पनाराम हि0 1/12 जोगाराम पुत्र पनाराम हि0 1/12 जोधाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/16 तुलसाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/12 देदाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/12 नेनाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/16 मुकेश कुमार पुत्र घमडाराम हि0 1/48 मिसराराम पुत्र घमडाराम हि0 1/48 रिडमलराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/12 रहन आरएमजीबी शाखा गुडामालानी हेमाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/16 कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	गुरुओं का तला	580 580	22.4849 2.2662	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 24.7511 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन

कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में  
रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री  
तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी  
हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं  
मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाडमेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2021 / 175(67 / 21)

दर्ज तिथि:-03.08.2021

1. देवाराम पुत्र ताजाराम  
जाति मेगवाल निवासी गुरुओं का तला तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर।

.....वादी

**बनाम**

1. डालुराम पुत्र उदाराम
2. ठाकराराम पुत्र उदाराम
3. वालाराम पुत्र उदाराम
4. सजनीदेवी पत्नी उदाराम
5. रिडमलराम पुत्र रेशमाराम
6. कौशलाराम पुत्र रेशमाराम
7. तुलसाराम पुत्र रेशमाराम
8. करनाराम पुत्र रेशमाराम
9. देदाराम पुत्र रेशमाराम
10. इन्द्रादेवी पत्नी रेशमाराम
11. विशनाराम पुत्र ताजाराम
12. नेनाराम पुत्र ताजाराम
13. गेनाराम पुत्र ताजाराम
14. जोगाराम पुत्र पनाराम
15. जेताराम पुत्र पनाराम
16. अणसीदेवी पत्नी पनाराम
17. मूलाराम पुत्र बागाराम  
जाति मेगवाल निवासी गुरुओं का तला तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर

.....असल प्रतिवादी

18. तहसीलदार नोखड़ा।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री रिडमलराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 565/0.0486 है0, 571/12.8366 है0, 580/27.7290 है0, 566/19.4573 है0, 572/7.2843 है0 मौजा गुरुओं का तला तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
देवाराम पुत्र ताजाराम हि0 1/4	गुरुओं का तला	566	3.9018	बा0सो0
गेनाराम पुत्र ताजाराम हि0 1/4		571	5.1346	बा0सो0
नेनाराम पुत्र ताजाराम हि0 1/4		572	2.4281	बा0सो0
विशनाराम पुत्र ताजाराम हि0 1/4		580	2.9779	बा0सो0
कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार				
कुल किता 04रकबा 14.4424 है0				
अगरीदेवी पत्नी पनाराम हि0 1/12 अन्तरोदेवी पत्नी घमडाराम हि0 1/48 इन्द्रादेवी पत्नी रेशमाराम हि0 1/24 करनाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/24 कोशलाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/24 जेताराम पुत्र पनाराम हि0 1/12 जोगाराम पुत्र पनाराम हि0 1/12 रहन बीसीसीबी शाखा नोखड़ा ख.सं. 571 जोधाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/16 ठाकराराम पुत्र उदाराम हि0 1/16 डालुराम पुत्र उदाराम हि0 1/16 तुलसाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/24 देदाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/24 नेनाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/16 मुकेश कुमार पुत्र घमडाराम हि0 1/48 मिसराराम पुत्र घमडाराम हि0 1/48 रिडमलराम पुत्र घमडाराम हि0 1/24 रहन आरएमजीबी शाखा गुडामालानी वालाराम पुत्र उदाराम हि0 1/16 सजनीदेवी पत्नी उदाराम हि0 1/16 हेमाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/16 कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	गुरुओं का तला	565 571	0.0486 7.7020	गै0मु0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 7.7506 है0				
जेताराम पुत्र पनाराम हि0 1/6 अगरीदेवी पत्नी पनाराम हि0 2/3 जोगाराम पुत्र पनाराम हि0 1/6 रहन बीसीसीबी शाखा नोखड़ा कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	गुरुओं का तला	572	4.8562	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 4.8562 है0				

जोगाराम पुत्र पनाराम हि0 1/6 रहन बीसीसीबी शाखा नोखड़ा जेताराम पुत्र पनाराम हि0 1/6 अगरीदेवी पत्नी पनाराम हि0 5/12 ठाकराराम पुत्र उदाराम हि0 1/16 डालुराम पुत्र उदाराम हि0 1/16 वालाराम पुत्र उदाराम हि0 1/16 सजनीदेवी पत्नी उदाराम हि0 1/16 कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	गुरुओं का तला	566	15.5555	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 15.5555 है0				
कोशलाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/12 अगरीदेवी पत्नी पनाराम हि0 1/12 अन्तरोदेवी पत्नी घमडाराम हि0 1/48 इन्द्रादेवी पत्नी रेशमाराम हि0 1/12 करनाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/12 जेताराम पुत्र पनाराम हि0 1/12 जोगाराम पुत्र पनाराम हि0 1/12 जोधाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/16 तुलसाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/12 देदाराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/12 नेनाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/16 मुकेश कुमार पुत्र घमडाराम हि0 1/48 मिसराराम पुत्र घमडाराम हि0 1/48 रिडमलराम पुत्र रेशमाराम हि0 1/12 रहन आरएमजीबी शाखा गुडामालानी हेमाराम पुत्र मूलाराम हि0 1/16 कौम मेगवाल सा0 देह खातेदार	गुरुओं का तला	580 580	22.4849 2.2662	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 24.7511 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुडामालानी-बाड़मेर